



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 16 सितम्बर, 2025 ई०

भाद्रपद 25, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड

सं० 2748/रा०नि०आ०-3/4364/2025

देहरादून, 16 सितम्बर, 2025

आदेश

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 में प्रतिभाग करने वाले निम्न तालिका में उल्लिखित उम्मीदवार, राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" के प्राविधानानुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के फलस्वरूप संबंधित उम्मीदवारों को कॉलम-6 में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये जिनके माध्यम से अपेक्षा की गयी कि नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर निर्वाचन लड़ने से संबंधित पद का निर्वाचन व्यय का पूरा लेखा/लिखित आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०), उत्तरकाशी को प्रस्तुत/प्रेषित करेंगे। उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस का विवरण निम्नानुसार है:-

निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में असफल उम्मीदवारों का विवरण

क्र०स	निकाय का नाम	उम्मीदवार का नाम	पद	उम्मीदवार का पता एवं वार्ड संख्या	आयोग द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	नगर पालिका परिषद्, बडकोट	विजयपाल सिंह	अध्यक्ष	वार्ड संख्या-04 सुभाषनगर नगर पालिका परिषद्, बडकोट	संख्या-75 दिनांक 08.04.2025
2		प्रवीन सिंह रावत	अध्यक्ष	वार्ड संख्या-06 शास्त्रीनगर, नगर पालिका परिषद्, बडकोट	संख्या-76 दिनांक 08.04.2025
3.		दीपिका रावत	सदस्य	वार्ड संख्या-03 नौगाँव (प्रथम) नगर पंचायत, नौगाँव	संख्या-77 दिनांक 08.04.2025

4	नगर पंचायत, नौगाँव	जगबीर सिंह	सदस्य	वार्ड संख्या-04 नौगाँव (द्वितीय) नगर पंचायत, नौगाँव	संख्या-78 दिनांक 08.04.2025
5		विनोद प्रसाद	सदस्य	वार्ड संख्या-04 नौगाँव (द्वितीय) नगर पंचायत, नौगाँव	संख्या-79 दिनांक 08.04.2025
6		सुरेशा	सदस्य	वार्ड संख्या-06 देवलसारी नगर पंचायत, नौगाँव	संख्या-80 दिनांक 08.04.2025
7	नगर पालिका परिषद्, पुरोला	राहुल देव नौटियाल	सदस्य	वार्ड संख्या-02 श्रीकुल मन्दिर, नगर पालिका परिषद्, पुरोला	संख्या-81 दिनांक 08.04.2025
8		विनोद	सदस्य	वार्ड संख्या-02 श्रीकुल मन्दिर, नगर पालिका परिषद्, पुरोला	संख्या-82 दिनांक 08.04.2025
9		नवीन सिंह रावत	सदस्य	वार्ड संख्या-03 विद्या मन्दिर, नगर पालिका परिषद्, पुरोला	संख्या-83 दिनांक 08.04.2025
10		राजलवी	सदस्य	वार्ड संख्या-04 कोर्टरोड, नगर पालिका परिषद्, पुरोला	संख्या-84 दिनांक 08.04.2025
11		केशर सिंह	सदस्य	वार्ड संख्या-07 नागराजा मन्दिर, नगर पालिका परिषद्, पुरोला	संख्या-85 दिनांक 08.04.2025

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सगस्त उम्मीदवारों को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी संबंधित उम्मीदवारों द्वारा नियत समय तक निर्वाचन व्यय लेखा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), उत्तरकाशी को प्रस्तुत/प्रेषित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 13-छ के खण्ड (थ) तथा राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" संख्या-1389/रा0नि0आ0-3/2763/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 द्वारा नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय दाखिल करने में अराफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायिक औचित्य नहीं होने पर आदेश के दिनांक से तीन (03) वर्ष के लिए अनर्ह घोषित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अतः आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आयोग के उक्त आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के प्रस्तर-6 (8) में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), उत्तरकाशी से प्राप्त संस्तुति/सहमति के आधार पर उक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्ति/उम्मीदवारों को नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में प्रतिभाग करने हेतु इस आदेश के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष के लिए एतद्वारा अनर्ह घोषित किया जाता है।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।